न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 09/2021
इब्राहीम पुत्र रसूल खाँ जाति मेव निवासी ग्राम कठौल तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी, तहसील पहाड़ी, (भरतपुर) राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी

दिनांक :– 11/02/2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 4122/0.08 हैक्टर बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त है प्रार्थी की आराजी के पास ही खसरा नम्बर 4121/0.25 गै0मुम0 खार है जिसमें से होकर प्रार्थी का करीब 30 फुट चौडा रास्ता बना हुआ है जो रोड पर जाकर रूकता है रास्ता काफी पुराना बना हुआ है जो रोड पर बना हुआ है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी की काश्त करने देखभाल करने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। जिससे की प्रार्थी को रास्ता कायम हो सके। आराजी खसरा नम्बर 4121/0.25 गै0मुम0 खार है इसलिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार पहाडी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये । मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मौका निरीक्षण खसरा नम्बर 4122 बांके ग्राम कठौल किया गया। मौके पर प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी हुई है। प्रार्थी उक्त आराजी के लिये आबादी व काश्त करने व देखभाल हेतु आराजी खसरा नम्बर 4121 में होकर जाता है जो

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कि खसरा नम्बर 4121/0.25 किस्म गै0मुम0खार मकबूजा सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है उक्त भूमि में होकर ही प्रार्थी का पुराना रास्ता है। अन्य कोई रास्ता नहीं है।

उक्त आराजी के सम्बन्ध में मौके पर सडक की लम्बाई व चौडाई की बाबत तहसीलदार पहाडी से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 02/02/2022 के रास्ता (सडक) की लम्बाई 130 मीटर तथा चौडाई 6 मीटर है । इसमें खसरा नम्बर 4124 में लम्बाई 54 मीटर तथा खसरा नम्बर 4121 में 76 मीटर है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी की वहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 4122/0.08 तक पहुँच हेतु आराजी खसरा नम्बर 4121/0.25 किस्म गै0मुम0खार मकबूजा सिवायचक से रास्ता माँगा गया है। तहसीलदार पहाडी ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 4122/0.08 पर प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी हुई है। प्रार्थी उक्त आराजी के लिये आबादी व काश्त करने व देखभाल हेतु आराजी खसरा नम्बर 4121 में होकर जाता है जो कि खसरा नम्बर 4121/0.25 किस्म गै0मुम0खार मकबूजा सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है उक्त भूमि में होकर ही प्रार्थी का पुराना रास्ता है। अन्य कोई रास्ता नहीं है। मौके पर खसरा नम्बर 4121/0.25 में 76 मीटर लम्बाई एवं 06 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। जिसका उपयोग प्रार्थी करता आ रहा है। अतः कीमतन रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 4122/0.08 तक मुख्य सडक से आराजी खसरा नम्बर 4121/0.25 में से होकर 76 मीटर लम्बा एवं 06 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार पहाड़ी प्रार्थी से प्रचलित डीएलसी रेट की दुगनी राशि जमा कराकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 02.02.2022 की रिपोर्ट एवं मौका नक्शा अनुसार गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा। तहसीलदार पहाड़ी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)